

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 263]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 26 मई 2026 — ज्येष्ठ 5, शक 1948

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 मई 2026

अधिसूचना

फा.क्रमांक/1551/21-ब/छ.ग./26.—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 22 ख की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परामर्श से, एतद्वारा, अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित व्यक्तियों को अनुसूची के कॉलम (3) में वर्णित जनोपयोगी स्थायी लोक अदालत के सदस्य के रूप में नामांकित करती है:-

अनुसूची

क्रमांक	व्यक्ति का नाम	जनोपयोगी स्थायी लोक अदालत का नाम
01	(1) श्रीमती ज्योति पाण्डेय	रायपुर
02	(1) श्रीमती पूजा चन्द्राकर (2) श्री संतोष राम देवांगन	दुर्ग
03	(3) श्री सुरेन्द्र कुमार तिवारी	सरगुजा

Nava Raipur Atal Nagar, the 12th May 2026

NOTIFICATION

F.No. /1551 /XXI-B/C.G./26, - In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 22-B of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987), the State Government, in consultation with the State Legal Services Authority, hereby, nominates the persons shown in column No. (2) of the Schedule as member for the Permanent Lok Adalat specified in column No. (3) of the Schedule, namely :-

SCHEDULE

S.No.	Name of person	Name of permanent Lok Adalat for public utility
1	2	3
1.	(1) Smt. Jyoti Pandey	Raipur
2.	(1) Smt. Puja Chandrakar	Durg
	(2) Shri Santosh Ram Dewangan	
3.	(1) Shri Surendra Kumar Tiwari	Sarguja

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, प्रमुख सचिव.